न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 57/2023
जीसीएमएस : 2023/128

1. मीरादेवी उर्फ शान्ति देवी पुत्री श्री लाधूराम पत्नी श्री गणेशाराम जाति जाट साकिन वार्ड नं. 12 सूरतगढ तहसीलल सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.। –:वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। –: प्रतिवादी

तारीख रजू:– 13.04.2023

उपस्थित: 1. श्री सन्त कुमार अधिवक्ता वादी
2. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट,</u>

––निर्णय–– दिनांक : 29.11.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के नाम से बशराक्कत कलावती आदि के साथ संयुक्त खाता में चक 63 आर.बी.बी. तहसील रायसिंहनगर की खतौनी संख्या 69/57 मु.नं. 13 पं.नं. 183/268 में 1.468 है. नहरी बारानी भूमि व मु.नं. 14 पं.नं. 184/268 में 0.912 है. नहरी कुल तादादी 2.380 है. नहरी बारानी खातेदारी भूमि है जिसमें वादीया का 1/6 हिस्सा यानि 0.397 है. नहरी भूमि है उपरोक्त भूमि वादीया को उसके पिता श्री लाधूराम वल्द रूघाराम जाति जाट साकिन कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर की मृत्यु के पश्चात विरास्तन उनके 6 जायज कानूनी वारिस क्रमशः– रजोदेवी–जगदीशप्रसाद–भागोदेवी–मीरादेवी–पालीदेवी–राममुरति के नाम से दर्ज हुई जिसमें वादीया के भाई जगदीश प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है जगदीश प्रसाद की मृत्यु पश्चात उसके 1/6 हिस्सा की भूमि कलावतीदेवी– सन्तोषकुमारी–सुनीलकुमार–सुभाषकुमार के नाम से दर्ज हुई है अब वादीया की माता रजोदेवी का देहान्त हो चुका है जिनके देहान्त के उपरान्त माता रजोदेवी के नाम की 1/6 हिस्सा भूमि तादादी 0.396है. भूमि उनके पांच वारिसों मृतक जगदीशप्रसाद –भागोदेवी–मींरादेवी–पालीदेवी–राममुरति हर पांच हिस्सा में बहिस्सा बराबर–बराबर निहित हो चुकी है इस प्रकार वादीया स्वयं की 1/6 हिस्सा तादादी 0.397 है. व वादीया की माता रजोदेवी के देहान्त उपरान्त उनके 1/6 हिस्सा भूमि तादादी 0.396 है. में 1/5 हिस्सा भूमि तादादी 0.079 है. इस प्रकार कुल 0.476 है. भूमि की खातेदार बन चुकी है जिस भूमि की वादीया अपने आपको खातेदार घोषित करवाने की विधिक अधिकारी है वादीया को उक्त भूमि अपने पिता श्री लाधूराम के देहान्त के पश्चात बतौर अभिलेखों में विरास्तन व अपनी माता रजोदेवी से बतौर विरास्तन प्राप्त हुई है राजस्व अभिलेखों में विरास्तन अमल दरामद करते समय वादीया शान्तिदेवी का घरेलू नाम मींरादेवी ही लिख दिया गया है जबकि वादीया की शादी होने के बाद वादीया के ससुराल वालों ने वादीया का नाम बदलकर मींरादेवी की जगह शान्तिदेवी करवा दिया था तथा शादी के बाद यही शान्तिदेवी नाम मेरे तमाम दस्तावेज राशन कार्ड, आधारकार्ड, जन आधार कार्ड, पैनकार्ड वोटर पहचान पत्र आदि में है इसलिए वादीया राजस्व अभिलेखों में अपना नाम जहां मींरादेवी लिखा हुआ है। की जगह राजस्व अभिलेखों में सही रूप से मीरादेवी उर्फ शान्तिदेवी पुत्री लाधूराम दर्ज करवाना चाहती है तथा इस भूमि का इसी सही नाम से बाद दुरूस्ती खातेदार घोषित करवाने की अधिकारी है। इस दुरूस्ती के लिए श्रीमान् तहसीलदार साहब से निवेदन किया तो उन्होने कहा कि सक्षम अधिकारी [illegible] आये तो ही रिकार्ड में तब्दीली करेंगें, इसलिए प्रार्थी के पास प्रार्थना पत्र [illegible] के अलावा अन्य काई विकल्प नहीं है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्याया[illegible] अधिकार है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र [illegible] प्रस्तुत कर [illegible] है कि वाद पत्र वादीया निम्न प्रकार से फैसला व डिक्री फरमाया [illegible] चक 63 [illegible] तहसील रायसिंहन[illegible] खतौनी संख्या 69/57 मु.नं. 13 [illegible] है. नहरी बारानी भूमि व म[illegible] पं.नं. 184/268 में 0.912 है. नहरी कुल तादादी 2.380 [illegible] नहरी बारानी खातेदारी [illegible] वादीया का 1/6 हिस्सा यानि 0.397 है. भूमि व वादीया की माता के देहान्त के पश्चात उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:07:41 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

1/6 हिस्सा भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि तादादी 0.079 है. भूमि इस प्रकार कुल तादादी 0.476 है. भूमि की खातेदार घोषित की जावे व जामबंदी के कॉलम संख्या 4 में जहां वादीया का नाम मींरादेवी लिख हुआ है को दुरूस्त किया जाकर मींरादेवी उर्फ शान्तिदेवी पुत्री लाधुराम अंकित किए जाने की डिक्री पारित की जाकर वादीया को इसी नाम यानि मीरादेवी उर्फ शान्तिदेवी पुत्री लाधुराम के नाम से खातेदार घोषित किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक 1947 दिनांक 13.05.2024 से मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक 63 आरबी वी खाता संख्या 69 में प्रार्थिया मीरादेवी पुत्री लाधुराम के नाम भूमि दर्ज है जो कि जरिये विरासतन नामान्तरण सं. 54 द्वारा दर्ज रिकार्ड हुआ है। वारिसनामा में भी मिरादेवी नाम दर्ज है। प्रार्थीया अपना नाम मीरादेवी उर्फ शान्तिदेवी पुत्री लाधुराम कराना चाहती है क्योकि प्रार्थीया के सभी दस्तावेज मे नाम शान्तिदेवी अंकित है मुताबिक फर्द मौका पटवारी हल्का कीकरवाली इस संबंध मे ग्राम पंचायत कीकरवाली में पुछताछ करने पर उपस्थित मौतविरानों व मौजिज व्यक्तियों द्वारा बताया गया है कि मीरादेवी का शादी के बाद सुसराल मे शान्तिदेवी रख दिया गया था तथा उसी अनुसार समस्त दस्तावेज भी तैयार करा लिये समस्त व्यक्तियों द्वारा मीरादेवी व शान्तिदेवी दोनों नाम एक ही महिला के होना बताया गया। समस्त दस्तावजों तथा पटवार हल्का कीकरवाली की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर मीरादेवी का नाम राजस्व रिकार्ड में मीरादेवी उर्फ शान्तिदेवी पुत्री लाधुराम किया जाना उचित प्रतित होता है। चक 63 आरबी बी के खाता सं. 69 में नोट सं. 1 दिनांक 19.06.2023 द्वारा खातेदार सुनीलकुमार पुत्र जगदीशचन्द्र पर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर व पं.सं. 51 सन् 2023 पालीदेवी आदि बनाम कलावती देवी आदि आदेश दिनांक 19.05.2023 व उपतहसीलदार मुकलावा के आदेश दिनांक 30.05.2023 की पालना में स्थगन का नोट अंकित है।

3. मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादिया अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई उसके द्वारा फार्म नं. 3 के साथ संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि मौका रिपोर्ट में अंकित नोट पं.सं. 51 सन् 2023 अनवान पालीदेवी आदि बनाम कलावती देवी आदि के द्वारा जारी स्थगन दिनांक 20.08.2024 को निरस्त किया जा चुका है अतः वादिया वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मीरादेवी के स्थान पर मीरादेवी उर्फ शान्तिदेवी पुत्री लाधुराम किया जाना उचित है प्रतिवादी वादी द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में मीरादेवी उर्फ शान्तिदेवी पुत्री लाधुराम किये जाने की अनुशषां की है।

4. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वाद पत्र, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र यथा पटवार हल्का किकरवाली, तहसील रायसिंहनगर के मौका रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत में मौजूद व्यक्तियों के कथन एवं उक्त तथ्यों के आधार पर वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व चक 63 आर.बी.बी. तहसील रायसिंहनगर की खतौनी संख्या 69/... मु.नं. 13 पं.नं. 183/268 में 1.468 है. नहरी बारानी भूमि व मु.नं. 13 पं.नं. 184/268 में ... है. नहरी कुल तादादी 2.380 है. नहरी बारानी खातेदारी भूमि में वादीया का 1/6 हिस्सा यानि 0.397 है. भूमि व वादीया की माता के देहान्त के पश्चात उनके 1/6 हिस्सा भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि तादादी 0.079 है. भूमि इस प्रकार कुल तादादी 0.476 है. भूमि व जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में जहां वादिया का नाम मींरादेवी पुत्र लाधुराम लिखा हुआ है के स्थान पर मीरादेवी उर्फ शान्तिदेवी पुत्री लाधुराम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है उक्त खाता के शेष अंकन व रहन

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:07:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

रहेंगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम
बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़

आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.17 16:07:41 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner